

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 18/2020-21/

दिनांक : /03/2021

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी,

नगर पंचायत, झबरेड़ा,

जनपद - हरिद्वार।

विषय : नगर पंचायत झबरेड़ा, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 03 प्रस्तर एवं STAN में शून्य प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 11 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :

1. प्रतिवेदन की प्रति।
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 18/2020-21/

दिनांक: /03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

निरीक्षण आख्या अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा, जनपद- हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

परिचयात्मक:- इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

- (i) भौगोलिक क्षेत्र: **3.18 वर्ग किमी**
- (ii) जनसंख्या: - **11186**
- (iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - **09**
- (iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **04**
- (v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: -
 - (vi) कर्मचारियों की संख्या: -**12**
 - (vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन**
 - (viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**
 - (ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
 - (x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
 - (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
 - (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
 - (द) लाभार्थियों की संख्या:
 - (xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
 - (xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय
 - (अ) सामान्य :
 - (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
 - (xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)										
कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
समस्त धनराशि (₹) में										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
							आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 2017 को जारी किए गये General Financial Rule, 2017 के द्वारा स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।										

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	441989	11907000	12348989	12347320	1669
2	14वां वित्त आयोग	689000	1987000	2676000	2676000	0
3	अवस्थापना विकास निधि	0	2861000	2861000	2705720	155280
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2207603	43974	2251577	0	2251577
5	स्वच्छ भारत मिशन	0	480500	480500	480500	0
6	नगर निधि	1145910	3133073	4278983	3766591	512392
	योग	4484502	20412547	24897049	21976131	2920918

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	1669	11907000	11908669	11604502	304167
2	14वां वित्त आयोग	0	3649000	3649000	1762000	1887000
3	अवस्थापना विकास निधि	155280	4847000	5002280	2630677	2371603
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2251577	68540	2320117	0	2320117
5	स्वच्छ भारत मिशन	0	1241600	1241600	515950	725650
6	नगर निधि	512392	3110754	3623146	600888	3022258
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	5833473	5833473	5461046.50	372426.50
	योग	2920918	30657367	33578285	22575063.50	11003221.50

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	304167	34391000	34695167	33671223	1023944
2	14वां वित्त आयोग	1887000	6323000	8210000	5849000	2361000
3	अवस्थापना विकास निधि	2371603	0	2371603	2303229	68374
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2320117	35620	2355737	0	2355737
5	स्वच्छ भारत मिशन	725650	4041500	4767150	3664179	1102971
6	नगर निधि	3022258	3595443	6617701	4045360	2572341
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	372426.50	22500	394926.50	125911	269015.50
		11003221.5	48409063	59412284.5	49658902	9753382.5

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	1023944	44483000	45506944	33466447	12040497
2	14वां वित्त आयोग	2361000	4336000	6697000	4445714	2251286
3	अवस्थापना विकास निधि	68374	1986000	2054374	162860	1891514
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2355737	91962	2447699	0	2447699
5	स्वच्छ भारत मिशन	1102971	25000	1127971	802725.50	325245.50
6	नगर निधि	2572341	4879864	7452205	6296915	1155290
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	269015.50	66105630	66374645.50	39180728.65	27193916.85
	योग	9753382.50	121907456	131660838.50	84355390.15	47305448.35

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा, हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	12040497	42254000	54294497	54293719	778
2	14वां वित्त आयोग	2251286	7684000	9935286	7014516	2920770
3	अवस्थापना विकास निधि	1891514	0	1891514	1886365.01	5148.99
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2447699	86978.92	2534677.92	0	2534677.92
5	स्वच्छ भारत मिशन	325245.50	10078900	10404145.50	4953563	5450582.50
6	निकाय निधि	1155290	3770399.10	4925689.10	4606605	319084.10
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	27193916.85	4156143	31350059.85	31300643.25	49416.60
		47305448.35	68030421.02	115335869.37	104055411.26	11280458.11
लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात् योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव उत्तराखण्ड नगरीय लेखा संग्रह द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						
(iii) इकाई द्वारा अनुदान पंजिका तथा निर्माण कार्य पंजिका नहीं बनाई जा रही है।						

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेडा, जिला- हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2015-16	14वां वित्त आयोग	689000	1987000	2676000	2676000	0
2016-17	14वां वित्त आयोग	0	3649000	3649000	1762000	1887000
2017-18	14वां वित्त आयोग	1887000	6323000	8210000	5849000	2361000
2018-19	14वां वित्त आयोग	2361000	4336000	6697000	4445714	2251286
2019-20	14वां वित्त आयोग	2251286	7684000	9935286	7014516	2920770
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	00	480500	480500	480500	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	1241600	1241600	515950	725650
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	725650	4041500	4767150	3664179	1102971
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	1102971	25000	1127971	802725.50	325245.50
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	325245.50	10078900	10404145.50	4953563	5450582.50
2016-17	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	5833473	5833473	5461046.50	372426.50
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	372426.50	22500	394926.50	125911	269015.50
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	269015.50	66105630	66374645.50	39180728.65	27193916.85
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	27193916.85	4156143	31350059.85	31300643.25	49416.60

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01:- धनराशि ` 43.88 लाख की देयता का लंबित रहना।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त स्थानीय निकायों को संक्रमित की जा रही धनराशि की शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, पथ-प्रकाश एवं जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान पर किया जाएगा।

कार्यालय नगर पंचायत, झबरेड़ा के विद्धुत देयकों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्धुत वितरण खंड (ग्रामीण) रुड़की के पत्रांक 387/वि. वि. ख.(ग्रा0) दिनांकित 31 जनवरी 2019 के माध्यम से नगर पंचायत के अंतर्गत स्थापित स्ट्रीट लाइट के माह जनवरी 2020 तक के धनराशि ₹ 43,88,204/- के बकाया विद्धुत बीजकों को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (02/2021) तक उक्त बीजकों का भुगतान नहीं किया गया था। अर्थात् इकाई पर धनराशि ` 43,88,204/- की देनदारी लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि बोर्ड की संस्तुति के आधार पर विद्धुत बिलों के भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन एवं इकाई पर देयकों की समय पर गणना कर विद्धुत देयकों का समायोजन कर लेना चाहिए था ताकि विद्धुत देयकों का समय पर भुगतान किया जा सके तथा Surchage का भुगतान न करना पड़े।

अतः धनराशि `43.88 लाख की देयता लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 02:- निर्माण कार्यों के सापेक्ष ` 30234/- की रॉयल्टी की कटौती न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संबन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

कार्यालय नगर पंचायत झबरेड़ा, जनपद- हरिद्वार के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों (**संलग्नक के अनुसार**) की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में न तो उपखनिजों के क्रय सम्बन्धी बिल/बाउचर लगाए गए थे ओर न ही उपयोग किए गए उपखनिजों के सापेक्ष इकाई द्वारा धनराशि ₹ 30237/- की रॉयल्टी की कोई कटौती करके राजकोष में जमा की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित ठेकेदारों को रॉयल्टी की धनराशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर दिये जायेगे ।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करते समय ही रॉयल्टी की सम्पूर्ण धनराशि की कटौती कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी ।

अतः निर्माण कार्यों के सापेक्ष धनराशि ₹ 30237/- की रॉयल्टी की कटौती न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक

नगर पंचायत झबरेड़ा, द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों के भुगतानों से रॉयल्टी की कटौती न किए जाने का विवरण													
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घन मी. में)					रॉयल्टी कटौती की दर (प्रति घन मी. में)	कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती जो की जानी थी	कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती जो की गई	अन्तर
					बालू	20/40mm गिट	बोल्डर	पत्थर	योग				
1	2018-19	एसबीएम	वाल्मीकि बारातघर परिसर में 02 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	352035	26.50	-	-	11.04	37.54	154.00	5781	0	5781
2	2018-19	एसबीएम	पुरानी मस्जिद के पास 02 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	126313	14.92	-	-	1.32	16.24	154.00	2501	0	2501
3	2019-20	एसबीएम	रवि दास मंदिर परिसर में 02 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	227135	23.35	-	-	2.22	25.57	154.00	3938	0	3938
4	2019-20	एसबीएम	नगर पंचायत झबरेड़ा में 11 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	888432	55.08	-	-	18.67	73.75	194.50	14344	0	14344
5	2017-18	एसबीएम	शिव चौक पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	511615	19.15	-	-	4.68	23.83	154.00	3670	0	3670
कुल योग				2105530	139.00	-	-	37.93	176.93		30234	0	30234

भाग2(ब)

प्रस्तर 03- बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 27.07 लाख को राजकोष में जमा न कराया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17.04.2017 के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को 15 मई 2017 तक राजकोष के लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ – 04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जाना था।

नगर पंचायत, झबरेड़ा द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु संचालित बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान इकाई को निम्नांकित विवरणानुसार ₹ 27,07,568/- की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी-

क्र. स.	मद का नाम	बैंक /खाता संख्या	वर्ष				
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	मुख्यमंत्री घोषणा	11541077668/SBI	14170	12243	1478	523	526
2	स्वच्छ भारत मिशन	36270777048/SBI	0	15406	32385	11245	148831
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	36014249092/SBI	0	73973	10089	1573170	436137
4	ठोस अपशिष्ट योजना	2022000100020300/PNB	87666	89122	35602	58993	86238
5	स्वच्छ भारत मिशन	50100324732351/HDFC	0	0	0	0	19771
योग			101836	190744	79554	1643931	691503
कुल योग			27,07,568/-				

आगे जाँच में पाया गया कि उपरोक्त ब्याज की धनराशि विगत 01 से 05 वर्षों से निकाय के खातों में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि(02/2021) तक राजकोष के लेखाशीर्षक (0049) में जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि ब्याज की धनराशि को जमा करने के कार्यवाही की जायेगी ।

अतः बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 2707568/- को राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा, जनपद-हरिद्वार के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 की संप्रेक्षा श्री केदार सिंह, स0. ले.प.अ., तथा श्री अरविंद शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 12.02.2021 से 18.02.2021 तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	स्टेन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग - IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग - V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा, जिला- हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

(ii)

2. सतत अनियमितताएँ: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री चन्द्रकान्त भट्ट	अधिशासी अधिकारी	01-07-2014 से 08-08-2017
02	श्री राजेश पूरी	अधिशासी अधिकारी	18.08.2017 से 19.09.2019
03	श्री गुरमीत सिंह	अधिशासी अधिकारी	16.09.2019 से वर्तमान तक
अध्यक्ष/प्रशासक			
01	श्री मानवेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, झबरेड़ा, जिला- हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये |

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II